


उपखण्ड
रूपनाड (अ-)

२१-८-२२ वादीया द्वारा मूल वाद में प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत
आदेश २३ नियम १२ C.P.C. वास्ते वाद प्रत्याहरण
करने एवं पुनः नया वाद पेश करने की अनुमति
चाहने वाकत् पेश करने पर परावली तलब
की गयी

चूंकि मूल वाद प्रत्याहरण की अनुमति
दी जा चुकी है, इस कारण उक्त प्रकरण
में कौर्छ कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से
प्रार्थना का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता
है
परावली फेसल शुमाव होकर नम्बर से
कम हो


उपखण्ड अधिकारी
रूपनाड (अ-)

